



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



सं०-1194-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/24-12-विनियम/91(टीसी-1) दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं समस्त सहयोगी विद्युत वितरण निगमों के कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उसी तिथि से स्थायीकरण किये जाने सम्बन्धी निर्गत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-545-विनियम एवं काविनी/पाकालि/24 दिनांक 08.07.2024 के प्रथम प्रस्तर में वर्णित व्यवस्था को एतद्वारा निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :-

• "समस्त संवर्गों के ऐसे कार्मिकों, जिन्होंने संगत सेवा विनियमावली के अनुसार 02 वर्षों की परिवीक्षा अवधि (या निश्चित अवधि As per service rules) अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि, जिस तिथि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, को उसी तिथि से स्थायीकरण किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।"

2. उक्त आदेश सं०-545 दिनांक 08.07.2024 में अंकित अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

सं० 1194-(1)-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/24 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचलविद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को, कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एलएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, शक्ति भवन (मु०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता(वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

अज्ञा से,

(प्रभात सहगल)

उप सचिव (काविनी एवं विनियम)